

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

क्रमांक 8971 कार्यालय मुताबिक..रियाट..पटवारी एवं (राज्य)
08-03-10 स्वयं के लपथ पत्र के आधार पर दिनांक.....

जाति प्रमाण पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुम्भी लक्ष्मण कुमार वर्मा
 सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री कुलदेव कुमार वर्मा
 गांव/नगर करनर जिला/डिवीजन भू-डी
 जाति/समुदाय रजपूत S.C. का है, जिसे निम्नलिखित के अन्तर्गत अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियों (संशोधन) आदेश, 1951; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971); और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार। रजपूत S.C.
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1957
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुम्भी लक्ष्मण कुमार वर्मा और/अथवा उसका
 परिवार करनर गांव/नगर करनर जिला/डिवीजन भू-डी
 राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान-
 दिनांक.....

तहसील जयपुर
 जिला-भून्डी (राज.)
 मोहर

● कृपया उन शब्दों को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।
 विशेष- यहां पर प्रयुक्त 'सामान्यतः रहता है', का अर्थ वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1953 की धारा 20 में है।